राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 779वी बैठक दिनांक 10.04.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 779वी बैठक दिनांक 10.04.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9275/2022	5(f)	Pharmaceutical Intermediates	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9107/2022	1(a)	बॉक्साईट, ऑकर एवं व्हाईट अर्थ खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9686/2023	5(ga)	Fuel Ethanol Unit with cogeneration of power Ethanol Unit	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9687/2023	5(ga)	Fuel Ethanol Unit with cogeneration of power	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9684/2023	1(a)	चूनापत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6.	9694/2023	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
7.	9677/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	9691/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	9679/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
10.	9678/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
11.	9695/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
12.	9682/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
13.	9683/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
14.	9688/2023	1(a)	चूनापत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15.	9704/2023	5(f)	Pharmaceutical Intermediates	For ToR	ToR स्वीकृत
16.	9714/2023	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
17.	9689/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9690/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
19.	**SIA/MP/RIV/421852/2023**		परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन आवेदन की श्रेणी निर्धारण बावत्।		

1. **Case No 9275/2022:** Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Bluk Drug Intermediates at Plot No. 40 & 42, Industrial Estate-3, Bagdoon, Tehsil-Pithampur, District-Dhar (MP) by M/s Thinq Pharma – CRO Pvt. Ltd., Joint Managing Director, A/30, Thinq House, Road No. 10, MIDC Wagle Estate, Thane West (MH)-400604 Email: hariharan@thinqcro.com Mob: 9821504027Envt.Consultant: M/s. Creative Enviro Services , Bhopal

   1. यह एक ब्राउनफील्ड मौजूदा परियोजना है, वर्तमान में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर एम 40 और 42 औद्योगिक एस्टेट –3 में सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स –5(f) के तहत एपीआई और एपीआई इंटरमीडिएट का निर्माण कर रही है। पूर्व में MPSEIAA द्वारा पत्र क्र 849/SEIAA/2017 दिनांक 23/06/2017 पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

   2. पूर्व में प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति195 एमटी/वर्ष के लिए प्राप्त किया गया था और वर्तमान में कुल उत्पादन क्षमता 195 एमटी/वर्ष में वृद्धि के बिना यूनिट के विस्तार (diversification) में उत्पादों का मिश्रण एवं परिवर्तन किया जायेगा यानी कुछ उत्पादों को हटा दिया जाएगा और कुछ नए उत्पादों को जोड़ा जाएगा । साथ ही प्रक्रिया में हाइड्रोजनीकरण को अपनाते हुए डीजी सेट (750 kVA), एक बॉयलर 02 TPA(PNG fired) भी add किया जायेगा ।

   3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 24 उत्पादों का प्रस्ताव रखा जिसमें 11 नए उत्पाद पेश किए गए, और 13 पुराने उत्पाद अपरिवर्तित रहेंगे।मौजूदा और प्रस्तावित उत्पादन की क्षमता निन्नानुसार है।

Summary of the change in product and expansion:		
S. No.	Description	Quantity (MT/Year)
1.	Existing Products as per latest EC	195
2.	ProductQuantity Reduced	79
3 .	Product Quantity Increased	55.5
4.	Product Removed	16
5.	New Products	39.5
	Total Production after Expansion	195

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

S.No.	Proposed quantity of By-products in MT/ annum	Qty in MT/annum
1	**Triethyl amine hydrochloride**	**35.2**
	From Iopamidol	2.45
	From Iohexol	32.75
2	**1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Dihydrochloride**	**0.47**
	From Cetirizine hydrochloride	0.14
	From Meclizine hydrochloride	0.18
	From hydroxyzine dihydrochloride	0.15
3	**Sodium sulfate from dimethyl isosorbide**	**87.60**
4	**Calcium phosphate from Hypochlorous acid**	**0.051**
Total By-Products		**123.321**

4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 588वीं बैठक दिनांक 16.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 06 से 08 पर अंकित है। इसके बाद SEIAAकी 744 वीं बैठक दिनांक 30.08.22 की बैठक में स्वीकृति प्रदानं करते हुए पत्र संख्या 1603–04/एसईआईएए/22 दिनांक 12–09–22 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

5. टोटल परियोजना का कुल भूखंड क्षेत्र 21793.7 वर्ग मी या 5.385 एकड़ है। प्रस्तावित विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त भूमि नहीं खरीदी जाएगी ।

6. उत्पादन मिश्रण में प्रस्तावित परिवर्तन से पानी की खपत और effluent कम हो जायेगा। उत्पन्न effluent को मौजूदा ZLD आधारित ETP संयंत्र में उपचारित किया जायेगा क्योंकि विस्तार के बाद कुल effluent कम होगा। यूनिट में 60 KLD का मौजूदा ETP है और इसके बाद MEE और RO (ETP–30 KLD, MEE – 15 KLD, ATFD–15 KLD, RO– 15 KLD) हैं।

7. LowTDS/CODeffluent को ईटीपी में उपचारित किया जाएगा और highTDS/CODeffluentको MEEके माध्यम से निकाला जाएगा, प्राप्त रीसायकल पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे वृक्षारोपण, dual प्लंबिंग, कूलिंग और धुलाई के लिए किया जाएगा ।

8. उपलब्ध सुविधाएं प्रस्तावित विस्तार/विविधीकरण के लिए पर्याप्त हैं। सॉल्वेंट रिकवरी >98% होगी और खर्च किए गए सॉल्वेंट को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम निपटान के लिए CTSDF को भेजा जाएगा।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित रूप से छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों की प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट भी पत्र संख्या 849 दिनांक – 20.12.2021 के माध्यम से RO, MoEF–CC से प्राप्त की गई है जिसमें किसी भी शर्तो के लिए नॉन कंप्लायंस की रिपोर्ट नहीं की गई है।परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्रमांक 115548 दिनांक 20.05.22 के माध्यम से 31.03.2023 तक सहमति का नवीनीकरण भी प्राप्त कर लिया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. परियोजना प्रस्तावक द्वाराSEACबैठक 630वीं दिनांक 17.03.2023 में प्रस्तुत किया गया कि सीएसआर के तहत उन्होंने बगदून गांव, सागोर को गोद लिया है और ग्राम सभा के परामर्श से ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार सुविधा प्रदान की जाएगी और 11986 वर्ग मीटर क्षेत्र को हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें चारदीवारी, सड़कों और यूनिट के भीतर 03 पंक्तियों के 1700 पौधे होंगे।

11. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 630वीं दिनांक 17.03.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01से 14तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

(i) पानी की आवश्यकता MPAKVN जलापूर्ति के माध्यम से ही पूरी की जाये।

(ii) उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(iii) उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक कैमिकल जैसे फिनॉल, फार्मलडीहाईड इत्यादि रसायन का अधिकतम रिकवरी प्रचलित विधियों के द्वारा किया जाये।

(iv) उद्योग से उत्पन्न दूषित जल का खासतौर से Resin बनाने वाली इकाई का जहॉ तक हो सके पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(v) रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग—अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

(vii) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिएः

- Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये।प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

(ix) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

(x) संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

(xi) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाहीकिया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(xii) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवंCO_2उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xii एवं परिशिष्ट–3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. **प्रकरण क्र. 9107/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाई कम्पनी, वार्ड नं. 8, पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बॉक्साईट, ऑकर एवं व्हाईट अर्थ खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000.39 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 15/1, रकबा 3.845 हेक्टेयर, ग्राम घटानिया, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Phase	Location	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants
1st year to 2nd year	**Along the transport route (400m) 2.5m distance with 1m height**	**Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species**	**320**
1st year	**For village distribution**	**Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species**	**1000**

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	Total		6320

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम उदली के शासकीय प्राईमरी स्कूल भवन की मरम्मत तथा रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं 02 शौचालय का निर्माण पानी की उचित व्यवस्था के साथ किया जाये एवं स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाये।
- ग्राम उदली में खेल मैदान को विकसित किया जाये।
- समीपस्थ स्थित गौशाला के विकास कार्य हेतु सहायता राशि प्रदान की जाये।
- ग्रामवासियों के लिये (वर्ष में एक बार) स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एवं औषधी वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाई कम्पनी, वार्ड नं. 8, पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बॉक्साईट, ऑकर एवं व्हाईट अर्थ खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000.39 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 15/1, रकबा 3.845 हेक्टेयर, ग्राम घटानिया, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सतना द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03.06.2022 अनुसार खनिपटटा की अवधि 07.08.2015 से 06.08.2035 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

3. **Case No 9686/2023:**Prior Environment Clearance for B Molasses based 100 KLPD of fuel ethanol unit with cogeneration of power (2.5 MW) By product : 50 TPD of CO2 Generation is an area of 4.293 ha. (Khasra No. 3/1, 3/2, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/4, 29/2) at Village- Sahawan and Sonwari, Tehsil- Gadarwara, Dist- Narsinghpur (MP) by

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 779वी बैठक दिनांक 10.04.2023 का कार्यवाही विवरण

M/s Shri Vaibhav Maheshwari, Director, M/s Narmada Sugar Private Limited R/o Village-Pondar-Salichoka Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP)-487881 Email: pur.nspl@gmail.com Mob: 9407113000Envt. Consultant:M/s. Creative Enviro Services , Bhopal

1. प्रस्तावित परियोजना शीरे पर आधारित सह–उत्पादन (2.5 मेगावाट) बिजली के साथ 100 केएलपीडी ईंधन इथेनॉल उत्पादन हेतु इकाई खसरा संख्या 3/1, 3/2, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/4, 29/2) ग्राम– सहवन एवं सोनवारी में , तहसील– गाडरवारा, जिला– नरसिंहपुर के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का मामला है, जिसमे by product के रूप में 50 टीपीडी CO2 का उत्पादन भी है।

2. सरकार के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के उद्देश्य से केवल ईंधन इथेनॉल के निर्माण के लिए बिजली (2.5 मेगावाट) के सह–उत्पादन के साथ ईंधन इथेनॉल इकाई की 100 केएलडी की शीरा आधारित ईंधन इथेनॉल इकाई भारत सरकर की राजपत्र अधिसूचना एसओ 2339 दिनांक 16 जून 2021 में दी गई शर्त के अनुसार परियोजना जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगी।

3. प्रस्तावित परियोजना स्थल 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र के भीतर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, बाघ/हाथी रिजर्व आदि नहीं हैं।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2021 के अनुसार, शपथ पत्र के रूप में self - certification प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रस्तावित क्षमता 100 KLPD का उत्पादन केवल ईंधन इथेनॉल निर्माण के लिए करने हेतु घोषणा की गई हैं।

5. यह प्रस्तावित इथेनॉल इकाई MEE और बायोमेथेनाइजेशन के प्रावधान के साथ स्प्रे ड्रायर के साथ जेडएलडी(ZLD) आधारित होगी।

उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 630वीं दिनांक 17.03.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 16से 26तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) दिनांक 16 जून, 2021 केअधिसूचना के अनुसार, परियोजना श्रेणी बी2 के अंतर्गत शामिल किया गया है है और 100 केएलपीडी की प्रस्तावित क्षमता का उपयोग केवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में स्व–प्रमाणन के अनुसार ईंधन इथेनॉल निर्माण के लिए किया जाएगा। बशर्ते कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई ईसी के आधार पर उत्पादित इथेनॉल का ईबीपी कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, या यदि इथेनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, या यदि उक्त आसवनी आधारित आवश्यकताओं

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

को पूरा नहीं कर रहा है जिस पर परियोजना को श्रेणी बी2 परियोजना के रूप में मूल्यांकित किया गया है, पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।

(ii) जहां भी लागू हो, संयंत्र परिसर में फ्लेम प्रूफ विद्युत फिटिंग की व्यवस्था करे।

(iii) उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(iv) रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

(vi) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

- Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये।प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।
- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

(viii) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ix) संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

(x) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाहीकिया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(xi) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xii एवं परिशिष्ट–4 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. **Case No 9687/2023:**Prior Environment Clearance for Molasses based for capacity expansion in Fuel Ethanol Plant of 45 KLD to 75 KLD (C Molasses), 95 KLD (B Heavy Molasses), 100 KLD (Cane Syrup) & Incineration Boiler (from 14 TPH to 14 TPH+4TPH) at premises of existing fuel ethanol unit is an area of 9.7893 ha. (Khasra No. 76/1 & 76/2, 11/3 Ka) at VillageMendrana, Tehsil-Pansemal, Dist- Barwani (MP) by Shri Hemchand Kailashchand Goyal, Partner, M/s Shree Durga Khandsari Sugar Mills R/o Village-Mendrana, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)- 451770, Email: sdksugar@gmail.com Mob: 9425416178.

   1. उक्त परियोजना खसरा संख्या 76/1 और 76/2, 11/3 झ्) गांव– मेंद्राना, तहसील–पानसेमल, जिला–बड़वानी (एमपी) में 9.7893 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित मौजूदा ईंधन इथेनॉल इकाई है। परियोजना में 45 केएलडी से 75 केएलडी (सी शीरा), 95 केएलडी (बी भारी शीरा), 100 केएलडी (केन सिरप) और इंसीनरेशन बॉयलर (14TPH से 14TPH+4TPH) के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ईंधन इथेनॉल संयंत्र में क्षमता विस्तार हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है।

2. पूर्व में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्र 11011 / 538 / 2017-IA-II (I) दिनांक 17.12.2018 पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों की प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट भी पत्र संख्या File No.5-133/2018 (Env.) दिनांक – 28.11.22 के माध्यम से RO,MoEF&CC से प्राप्त की गई है जिसमें किसी भी शर्तो के लिए नॉन कंप्लायंस की रिपोर्ट नहीं की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2021 के अनुसार, शपथ पत्र के रूप में self - certification प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रस्तावित क्षमता 100 KLPD का उत्पादन केवल ईंधन इथेनॉल के लिए करने हेतु घोषणा की गई हैं।अधिसूचना मेंदी गई शर्त के अनुसार परियोजना जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगी।

4. SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा यह पाया गया कि यूनिट के उत्तर और पश्चिम की तरफ एक seasonal drainहै जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की उन्होंने इस drainके एचएफएल से 100 मीटर सुरक्षित दूरी छोड़ी है।

5. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 630वीं दिनांक 17.03.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 16से 26तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) दिनांक 16 जून, 2021 केअधिसूचना के अनुसार, परियोजना श्रेणी बी2 के अंतर्गत शामिल किया गया है है और 100 केएलपीडी की प्रस्तावित क्षमता का उपयोग केवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में स्व–प्रमाणन के अनुसार ईंधन इथेनॉल निर्माण के लिए किया जाएगा। बशर्ते कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई ईसी के आधार पर उत्पादित इथेनॉल का ईबीपी कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, या यदि इथेनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, या यदि उक्त आसवनी आधारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है जिस पर परियोजना को श्रेणी बी2 परियोजना के रूप में मूल्यांकित किया गया है, पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।

(ii) जहां भी लागू हो, संयंत्र परिसर में फ्लेम प्रूफ विद्युत फिटिंग की व्यवस्था करे।

(iii) उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उर्जा उत्पादन (Waste Heat Recovery Plant) के माध्यम से उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसी तरह

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उद्योग से उत्पन्न कार्बनडाई ऑक्साईड को खुले में न छोड़ा जाये तथा इसका पुर्न उपयोग सुनिश्चित करें।

(iv) रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

(vi) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

- Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये।प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।
- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

(viii) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

(ix) संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(x) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाहीकिया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(xi) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवंCO_2उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 630 वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xii एवं परिशिष्ट–4 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. प्रकरण क्र. 9684/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुशवाह, निवासी– 541, आदर्श कॉलोनी, राम मनोहर लोहिया वार्ड, मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,762.56 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818, रकबा 24.850 हेक्टेयर, ग्राम जमुवानीकला, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट

(सुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तो के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. **Case No 9694/2023:**Environment Clearance for Sage Milestone Commercial & Residential Apartment at Khasra No. 299 / 2, 298 / 2, 299 / 1, 298 / 3, 297 / 2, 298 / 1 & 304 Village - Samardha Kaliyasot, Tehsil - Huzur, District - Bhopal, M.P. by Shri Sanjay Gupta, Authorized Signatory, Sage Milestone, (Residential Apartment), Village-Samardha Kaliyasot, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) Envt. Consultant: M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram, Haryana

   1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 299/2, 298/2, 299/1, 298 /3, 297/2, 298/1 एवं 304 ग्राम–समरधा कलियासोत, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) में सेज माइलस्टोन वाणिज्यिक और आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है।प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत् विचाराधीन है।
   2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 630वीं दिनांक 17.03.2023प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा यह देखा गया कि यह एक उल्लंघन परियोजना है जिसमें पूर्व ईसी के बिना आवासीय ब्लॉकों का निर्माण पूरा किया गया है। समिति द्वारा यह देखा गया कि पीपी ने केवल 6% निर्माण पूरा होने का दावा किया, जबकि Google इमेज में परियोजना के 25 –30% कार्य पूर्ण होता प्रतीत हो रहा है क्योंकि पूरे डुप्लेक्स घर पूर्ण हो गए हैं। प्रस्तुति के दौरान यह भी पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के पूर्वी हिस्से से एक प्राकृतिक नाला गुजर रहा है जिसके लिए एचएफएल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा योजना प्रस्तुत की जाएगी। ईआईए रिपोर्ट में यह भी परिलक्षित होगा कि इस निर्माण के दौरान पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा किया गया।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 39 से 42 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।
- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा
- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करें।
- परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
- **परियोजना स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से लेकर आवेदन दिनांक तक कंपनी द्वारा return** एवं **प्रमाणित बैलेंस शीट EIA Report** में सम्मिलित करे।
- चूँकि परियोजना का 25 –30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उल्लघंन (Violation) के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी SOP (07.07.21) लागू दिनांक 28.01.2022 अनुसार परियोजना में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ संलग्न करें। जिसके आधार पर दांडिक राशि का निर्धारित किया जा सके।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा Hon'ble NGT Central Zone Bench Bhopal द्वारा original application Nos. 135/2014(CZ) and 48/2014 (CZ) में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन ईआईए में सम्मिलित किया जायें।

7. प्रकरण क्र. 9677/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल मलैया आत्मज श्री विजय कुमार मलैया, निवासी– राजाखेड़ी चौराहा, मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6077 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 4051 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 285/1, रकबा 1.50 हेक्टेयर, ग्राम गुढ़ा, तहसील सागर, जिला सागर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9691/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हर्ष समाजोउत्थान समिति, अध्यक्ष श्री गजराज प्रजापति, निवासी– ग्राम व पोस्ट खड्डी, तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2589पी, रकबा 3.615 हेक्टेयर, ग्राम जुझारनगर तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(सुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(मुजीबुरहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 9679/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री कमल सिंह आत्मज श्री भगवान सिंह, निवासी—ग्राम तराना लोध, पोस्ट इटावा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1325, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम नांदेड़ तहसील मकडोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू—जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 9678/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती उमा गुप्ता पत्नि श्री राहुल गुप्ता, निवासी—17/1, महाकाल विनायक केन्द्र, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, रकबा 1.20 हेक्टेयर, ग्राम जकजयरामपुर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू—जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया के अंतर्गत Transportation, Blasting एवं Vibration इत्यादि का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव खदान के समीप लगभग 126 मीटर की दूरी पर स्थित स्कूल कैम्पस नहीं पड़ेगा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी इसका विशेष रूप से ईआईए में उल्लेख किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 9695/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रम्हस्वरूप अग्रवाल आत्मज श्री सुरेश अग्रवाल, निवासी– 1003, बॉल्क सनसाईन अपार्टमेन्ट, ग्रेन्ड एक्जोटिक, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 39701 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/1, 4/4, 4/3/2, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम धुरैरी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 779वी बैठक दिनांक 10.04.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. प्रकरण क्र. 9682/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामधेनु स्टोन एण्ड एम.सेण्ड, पार्टनर श्री संजय पटवाला, निवासी–24, टीचर कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 125000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष), खसरा नं. 126 भाग, रकबा 3.750 हेक्टेयर, ग्राम बिवडोद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अधूरी शर्तों का पूर्ण परिपालन कर उसका समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 9683/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामधेनु स्टोन एण्ड एम.सेण्ड, पार्टनर श्री संजय पटवाला, निवासी–24, टीचर कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 126 भाग, रकबा 3.750 हेक्टेयर, ग्राम बिवडोद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अधूरी शर्तों का पूर्ण परिपालन कर उसका समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 9688/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मारूति बालाजी स्टील लिमिटेड, संचालक श्री मोरध्वज मिश्रा, निवासी–01, हॉस्पिटल स्ट्रीट, द्वितीय तल, सत्यम मार्केट, पीओ प्रिंसीप स्ट्रीट, कोलकाता–485001, द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 0.15 एमटीपीए से 0.70 एमटीपीए, खसरा नम्बर 32121, 32122, 322, 334, 326, 331, 332, 328, रकबा 107.785 हेक्टेयर, ग्राम बठियाकलां, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण भाग में खदान के पास व लीज एरिया के अंदर आबादी, 100 मीटर पर रेल्वे लाईन, खदान के बीच से कन्वेयर बेल्ट, उत्तरी भाग में खदान के अंदर एक तालाब, खदान के समीप कच्ची सड़क व प्राकृतिक नाला परिलक्षित है। उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को MoEF&CC, GOI के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 29.10.2014 एवं इसके बाद जारी संशोधित आदेशों तथा माननीय न्यायालयों एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी आदेशों/दिशा निर्देशों

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के अनुरूप पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

15. **Case No 9704/2023:** Prior Environment Clearance for API/Pharmaceutical Intermediates Production unit with proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates of 138 MT/Annum at Plot No. B-12, Banmore Industrial Area, Banmore, District-Morena (M.P.) Shri Rajesh Mangal, Director, M/s Shri Vinayak Surgi Plast Private Limited, R/o B-12 (A), Industrial Area, Banmore, District-Morena (MP)-476444 Email: Rajeshmangal06@gmail.com Mob: 9425121298

1. यह एक ब्राउनफील्ड मौजूदा परियोजना है, वर्तमान में बानमोर औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर बी–12, बानमोर, जिला–मुरैना मेंएपीआई/बल्क ड्रग एंड इंटरमीडिएट्स की उत्पादन क्षमता 138 मीट्रिक टन / वार्षिक उत्पादन हेतुप्रस्तावित है।
2. यह एक मौजूदा इकाई और कंपनी ने संयंत्र का विस्तार करने हेतु का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में इकाई NonECproductअर्थात शल्य चिकित्सा, कपास, सूत्रीकरण आदि का उत्पादन कर रही है। इसलिए, परियोजना प्रस्तावक द्वारा अब तक ईसी प्राप्त नहीं किया गया था। अब मौजूदा परिसर में श्रेणी–5 (एफ) के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने वाले एपीआई और बल्क दवा का उत्पादन करने का प्रस्ताव है इसलिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
3. प्रस्तावित परियोजना 2973 वर्ग मीटर के कुल भूखंड क्षेत्र पर स्थापित की जाएगी। कंपनी उत्पादों के निर्माण के लिए नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी को adopt करते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाह रहा है । प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत रु. 500 लाख है।
4. परियोजना हेतु कुल पानी की आवश्यकता 35.8 केएलडी है जिसमें से केवल 20.2 केएलडी ताजा पानी की आवश्यकता है और 15.3 KLD पानी का पुनर्चक्रण किया जाएगा। परियोजना से जो भी effluentgenerate होगाउसका उपचार कर पुनः उपयोग किया जाएगा, इस प्रकार, इकाई शून्य तरल निर्वहन प्रणाली(ZLD) बनाए रखेगी।
5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 63वीं बैठक दिनांक 17.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 55 से 56 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. .परियोजना स्थल के निकट स्थित इकाई का विवरण।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और ईआईए में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

3. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु ईआईएमेंचर्चा की जानी चाहिए।

4. गंध नियंत्रण के लिए EIAरिपोर्ट में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे।

5. प्रस्तावित इकाई से प्रक्रिया उत्सर्जन (process emission)का विवरण और उसके नियंत्रण की व्यवस्था कीईआईएमेंचर्चा की जानी चाहिए।

6. टीएसडीएफ (TSDF) में ठोस/खतरनाक कचरे के निपटान के लिए Authorization/Membership।

7. खतरनाक रसायनों/विलायकों के भंडारण और प्रबंधन के लिए जोखिम मूल्यांकन को संभालने और सुरक्षा प्रणाली के लिए कार्य योजना को शामिल किया जाना चाहिए ।

16. **Case No 9714/2023:**Environment Clearance for Construction of Van Bhawan, Bhopal Project of Office of Forest Department,at Khasra No. 1499/2 and Part of 1500, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP) Total Plot Area-10.28 acres, Total Built-up Area-38752.51 sqm) by Divisional Forest Officer, Bhopal Division, 74 Bunglow, Khel Parisar, Link Road No. 1, District-Bhopal (MP)-462003 Envt. Consultant:M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 1499/2 एवं 1500 का भाग, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (मप्र) में वन भवन, भोपाल के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है।परियोजना वन विभाग भोपाल द्वारा प्रस्तावित है ।प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत् विचाराधीन है।

2. वन भवन, भोपाल परियोजना कार्यालय का निर्माण के लिए कुल भूखंड क्षेत्र–10.28 एकड तथा कुल निर्मित क्षेत्र–38752.51 वर्गमीटर है।परियोजना का 100प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चूका है ।

3. समिति द्वारा यह देखा गया किगूगल इमेज के अनुसार कुछ पुरानी संरचनाएं पुरानी अस्तित्व में थीं जो भवन निर्माण के लिए हटाई गई प्रतीत होती हैं इसलिए सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार उनका विवरण और कचरे का निपटान ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

4. गूगल इमेज से यह भी देखा गया है कि नए भवन के निर्माण से पहले कुछ पेड़ मौजूद थे और जिन्हें उखाड़ दिया गया था, इस प्रकार पीपी उन सभी पेड़ों की सूची प्रस्तुत करेगा जो उखाड़े गए थे और इसके लिए प्राप्त अनुमति का विवरण भी प्रस्तुत करेगा ।

5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 56 से 59 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :—

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।

- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।

- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।

- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा

- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।

- प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करें।
- परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे ।
- परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
- परियोजना स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से लेकर आवेदन दिनांक तक कंपनी द्वारा return एवं प्रमाणित बैलेंस शीट EIA Report में सम्मिलित करे।
- चूँकि परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उल्लघंन (Violation) के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 28.01.2022 अनुसार परियोजना में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ संलग्न करें। जिसके आधार पर दांडिक राशि का निर्धारित किया जा सके।

17. प्रकरण क्र. 9689/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक धाकड़ आत्मज श्री सोहनलाल धाकड़, निवासी– 133, विक्रम मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर बर्डन 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 421/1, 421/2, रकबा 1.970 हेक्टेयर, ग्राम पचलासी, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 01 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः- पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, सीताफल, चिरोल आदि।	900
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः- जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कॉस्टर आदि।	200
3	ग्राम पचलासी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः- कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल, आदि उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ।	50
4	ग्राम पचलासी एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः- पीपल, अमला, कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, मुनगा आदि।	1234
		योग	2364

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पचलासी के शासकीय माध्यमिक शाला में विधार्थियों के लिये 30 बेंच एवं डेस्क तथा 01 टेबल व 02 कुर्सी उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक धाकड़ आत्मज श्री सोहनलाल धाकड़, निवासी– 133, विक्रम मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर बर्डन 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 421/1, 421/2, रकबा 1.970 हेक्टेयर, ग्राम पचलासी, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के पत्र क्र. 175 दिनांक 19.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 9689/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री एस एण्ड एस स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री सचिन पाटनी, निवासी–बड़ा बाजार, उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 9850 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 7, 12, रकबा 3.60 हेक्टेयर, ग्राम आक्यानजिक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 630वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	800
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	50
3	अक्यानजिक (स्थानीय) ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, मुनंगा अमरूद।	3480
4	शासकीय विद्यालय अक्यानजिक, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ।	20
5	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।	
		योग	4350

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम अक्यानजिक में पेयजल हेतु 01 हैण्डपम्प की स्थापना की जाये एवं उसके चारो ओर चबूतरा बनाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाये।

- ग्राम अक्यानजिक में समस्त ग्रामीणों और बच्चों के लिये वर्ष में दो बार स्वास्थ शिविर का आयोजन किया जाये। जिसमें रक्तचाप, मधुमेह की जांच की जाये तथा औषधि वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री एस एण्ड एस स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री सचिन पाटनी, निवासी–बड़ा बाजार, उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 9850 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 7, 12, रकबा 3.60 हेक्टेयर, ग्राम आक्यानजिक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 17280 दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –</u>

19. **Proposal No. SIA/MP/RIV/421852/2023** Pangari Medium Irrigation Project Scheme is proposed on Utawali River in Pangari village in Tehsil- Khaknar of District - Burhanpur (Madhya Pradesh) to irrigate 4400 ha culturable command area in Khaknar tehsil by Water Resources Division Burhanpur Irrigation Colony, Shikarpura, Burhanpur **के श्रेणी निर्धारण बावत्।**

उक्त प्रोजेक्ट रिवर वैली से संबंधित हैं जिसे WRD, Burhanpur द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु Onlineआवेदन किया गया है, चुंकि परियोजना में CCA4400 हेक्टेयर का है, इसलिये EIA Notification 2006 की संशोधित अधिसूचना दिनांक 14.08.2018 के अनुसार परियोजना बी–2 श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।

Onlineआवेदन के परीक्षण के समय श्रेणी निर्धारण हेतु परियोजना प्रस्तावक से परियोजना स्थल से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य आदि की दूरी हेतु वनमंडलाधिकारी से प्रमाण पत्र लिया जाता है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इसी संबंध में उक्त प्रकरण में वनमंडलाधिकारी, बुरहानपुर द्वारा जारी पत्र के बिंदु क्र. 04 में उल्लेखित है कि ''योजना स्थल से प्रस्तावित महात्मा गांधी अभ्यारण्य, म.प्र. से न्यूनतम दूरी 2916 मीटर की दूरी पर है''।

अतः उपरोक्तानुसार यदि प्रस्तावित अभ्यारण्य को पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन में विचार किया जाता है तो General Condition लागू होने के कारण प्रकरण 'ए' श्रेणी के अंतर्गत विचार किया जायेगा। इस संशय पर कि आवेदन को स्वीकृत किया जाये अथवा नहीं इस संबंध मे प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं वनमंडलाधिकारी, बुरहानपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.01.23 को मान्य करते हुए प्रकरण को "A" श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने का निर्णय लिया गया।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वियन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–3

1. Water requirement shall be met through MPAKVN water supply only. Prior permission from concerned authority shall be obtained for withdrawal of water.
2. The Project Proponent shall make necessary arrangements for control of Air Pollution occurring due to the installation and operation of the Air Polluting machinery installed in the industrial premises.
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. The project proponent shall construct rain water tanks to store rain water runoff generated from the roof tops etc during monsoon season within its premises.

5. The project proponent shall minimize the water consumption in the industrial plant complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

6. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

7. PP should ensure to achieve minimum 95% solvent recovery. Close loop solvent recovery system with adequate condenser system shall be provided to recover solvent vapours in such a manner that recovery shall be maximum and recovered solvent shall be reused in the process within premises.

8. The project proponent shall undertake pre-monsoon and post monsoon monitoring of the Ground water for heavy metals in addition to routine parameters. At least 3 samples i.e. one from within the premises and two from outside the premises of the industry shall be taken.

9. All the vehicle movement areas as well as approach road to the gate /weighing bridge shall be paved with pucca/metalled / cement concrete to control the dust emissions expected from vehicle movements.

10. The vehicles to be used for loading/unloading purposes shall not be parked along the roadside to avoid traffic congestion and a dedicated parking place to be provided for the same within the Project premises.

11. The project proponent shall adopt green technologies to conserve water and energy. Also, provide abrasive resistant fire bricks in the crucibles to reduce the periodic maintenance and disposal of discarded fire bricks if applicable.

12. The project proponent shall use natural gas as substitute fuel wherever possible in the existing industry/ for the expansion project as soon as this becomes commercially available.PP should ensure to implement non conventional energy source wherever is possible.

13. Odour Management:

    (a) Nozzles, sprayers and atomizers that spray ultra-fine particles of water or chemicals should be used along the boundary lines of area sources to suppress odours

    (b) Odorous air streams frequently contain high concentration of moisture. PP should ensure to use Mist filters for this purpose so that mist filter can remove solids and liquids from gas stream.

    (c) Regular transportation of Sludge and other odor producing material to CHWTSDF

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(d) Proper storage of chemical, solvent to avoid direct contact of sunlight

(e) Personal Protective Equipment should be provided to the workers while handling of chemical and raw material

14. PP should ensure to make arrangement for disaster management.

15. No construction and expansion activities will be allowed in MOS area.

16. Leak Detection and Repair (LDAR) program shall be prepared and implemented as per the CPCB guidelines. LDAR Logbooks shall be maintained.

17. The specific need base activities to be undertaken under CER to be carried out in consultation with District collector.

परिशिष्ट–4

1. PP should obtain NOC from CGWA, if project requirement met from extraction of ground water.

2. **Waste Water Disposal:**

   a. Industry shall install Multi Effective Evaporator (MEE) and adequate ETP for treatment and disposal of effluent. Zero discharge shall be maintained.

   b. The process condensate, boiler blow down, cooling tower blow down, spent lees after cooling should be treated in **condensate polishing unit.**

   c. Spent wash should be stored in MS/SS tank. The storage of spent wash shall not exceed 5 days capacity.

   d. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water. Storm water drain should be passed through guard pond.

3. **Solid & hazardous waste :-**

   a. PP should obtain authorization from MPPCB regarding hazardous waste disposal. PP should ensure disposal of hazardous waste/ by products regularly through sale or in TSDF site and there should be no dumping of these materials in the premises/outside. PP should also ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the Hazardous waste (Management & Handling) Rules 2000.

   b. Other solid waste generated from the process shall be used as cattle-feed. Industry shall explore the possibility to make it available to the local farmers.

4. **Air Pollution Control measures :**

   a. PP should provide fogging system for dust suppression.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

b. PP should ensure installation of DG sets with canopy and the stack height should be as per the MPPCB norms.

c. PP should install continuous air quality monitoring station in coordination with MPPCB.

d. Industry shall install bag-house in boiler to maintain the emission level of particulate matter as per MPPCB/CPCB prescribed norms.

e. Boiler ash shall be stored separately as per CPCB guidelines So that it shall not adversely affect the air quality, becoming air borne by wind or water regime during rainy season by flowing along with storm water.

f. Bagasse ash and coal ash should be stored separately and reuse/recycle properly.

5. **Noise & Odor Environment & Management**

a. Walls and ceilings of the concerned buildings should be lined with sound absorbing materials.

b. Noise attenuating devices like ear plugs and ear muffs should be provided to the workers exposed to high noise level.

c. Vehicles should not be allowed to queue outside the plant on the highway. Vehicle and people flow during shift changes should be regulated by allowing exits in a phased manner.

d. D.G. Set should be enclosed in a proper acoustic enclosure to reduce the noise emanating from it.

e. Use of efficient biocides to control bacterial contamination.

f. Control of temperature during fermentation to avoid in-activation / killing of yeast.

g. Avoiding storage of fermented wash.

h. Regular use of bleaching powder in the drains to avoid growth of putrefying micro-organisms.

i. Closed operation of the process to avoid odour nuisance.

6. **Energy Conservation:**

PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

7. **Disaster management:**

a. Prepare the onsite & offsite risk / disaster management plan, health and safety management plan and duly approved by the Competent Authority.

b. Fire fighting system shall be as per the norms and cover all areas where alcohol is produced, handled and stored. Provision of foam system for firefighting shall be

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

made to control fire from made to control fire from the alcohol storage tank. DMP shall be implemented.

8. **Green Area :-**

   a. PP should develop 15 m wide green belt with four rows of trees all along the periphery.

   b. The plant species selection should be as per CPCB guidelines for plantation in industrial area.

   c. Every effort should be made to conserve the existing trees in the project area.

   d. Dense plantation shall be taken up in at least 33% of total plot area.

9. PP should make provision for MS tank for storage of finished product.

10. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

11. PP should make a Environmental Management Cell under the guidance of MPPCB to maintain the environmental condition of the project.

12. Dedicated parking facility for loading and unloading of materials shall be provided in the factory premises. Unit shall develop the implement good traffic management system for their incoming and outgoing vehicles to avoid congestion on the public road.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष